भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504636

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: देवामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या–3, 22 व 77
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.2668 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504637

8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआ/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 20,08,431/–
11.	मालियत	:	रू0 3,33,500/–
12.	स्टाम्प	:	रू0 2,00,900/–

चौहद्दी

खसरा न0 3

पूरब	: खसरा संख्या–11
पश्चिम	: खसरा संख्या–4
उत्तर	: खसरा संख्या–2
दक्षिण	: खसरा संख्या–5.

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

YC 504638

खसरा न0 22

पूरब	: खसरा संख्या–33
पश्चिम	: खसरा संख्या–24
उत्तर	: खसरा संख्या–23
दक्षिण	: खसरा संख्या–21

खसरा न0 77

पूरब	: खसरा संख्या–63
पश्चिम	: खसरा संख्या–75
उत्तर	: खसरा संख्या–76
दक्षिण	: खसरा संख्या–78

RUPEES 25000 रुपये भारतीय गैर न्यायिक RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

RUPEES 25000 रुपये पच्चीस हजार रुपये RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504639

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीमती धनेश्वरी, पत्नी श्री गंगा प्रसाद निवासी –ग्राम देवामऊ परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री विशम्भर निवासी–ग्राम नन्दौली, तहसील–हसनगंज, जिला–उन्नाव। व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीमती धनेश्वरी, पत्नी श्री गंगा प्रसाद निवासी -ग्राम देवामऊ परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री विशम्भर निवासी-ग्राम नन्दौली, तहसील-हसनगंज, जिला-उन्नाव जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504641

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या–3, रकबा 0.089हेक्टेअर व खसरा संख्या–22, रकबा 0.399 हेक्टेअर दो किता व रकबा 0.488 का 1/3 भाग 0.1628 हेक्टेअर व खसरा संख्या–77, रकबा 0.208 हेक्टेअर का 1/2 भाग रकबा 0.104हेक्टेअर इस प्रकार कुल तीन किता व कुल रकबा 0.2668 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– देवामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00105 व 00100

RUPEES 25000 रुपये
भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
504642

के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरागद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

604643

विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 20,08,431/- (रूपया बीस लाख आठ हजार चार सौ इक्तीस

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 740465

24 DEC 2007

मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 740467

के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 740468

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम देवामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 607205

18 DEC 2007

सरकिल रेट रू० 12,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि 0.2668 हेक्टेअर की मालियत रू० 3,33,500/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 2,00,900/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक

मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

कृषि भूमि खसरा संख्या-3, रकबा 0.089हेक्टेअर व खसरा संख्या-22, रकबा 0.399 हेक्टेअर दो किता व रकबा 0.488 का 1/3 भाग 0.1628 हेक्टेअर व खसरा संख्या-77, रकबा 0.208 हेक्टेअर का 1/2 भाग रकबा 0.104हेक्टेअर इस प्रकार कुल तीन किता व कुल रकबा 0.2668 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- देवामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता ने रू0 20,08,431/- (रूपया बीस लाख आठ हजार चार सौ इक्तीस मात्र) द्वारा चेक संख्या- 609903 दिनांकित

विक्रय पत्र

2,008,431.00/	334,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती धनेश्वरी
पुत्र / पत्नी श्री गंगा प्रसाद
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 29/12/2007 समय 3:54PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

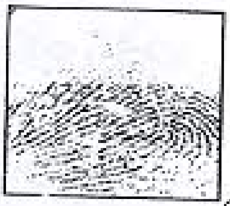

मनोज कुमार शुक्ल
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
29/12/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती धनेश्वरी
पुत्र/पत्नी श्री गंगा प्रसाद
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ

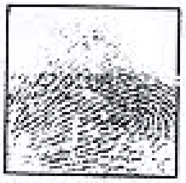

क्रेता
श्री/श्रीमती अरूण कुमार वर्मा
पुत्र/पत्नी श्री विशम्भर
पेशा कृषि
निवासी ग्राम नन्दौली,तह.हसनगंज जि.उन्नाव

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अमर नाथ
पुत्र श्री दिवाकर नाथ
पेशा व्यापार
निवासी मदन मोहन मालवीय नगर,लखनऊ

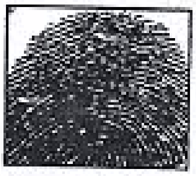

व श्री रामजस
पुत्र श्री गंगा प्रसाद
पेशा कृषि
निवासी ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ
ने की ।

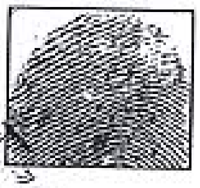

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मनोज कुमार शुक्ल
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
29/12/2007

29.12.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 20,08,431/– (रूपया बीस लाख आठ हजार चार सौ इक्तीस मात्र) विक्रेता नें क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

नोटः पृष्ठ संख्या–14 पर चेक संख्या पेन से लिखी है।

लखनऊ
दिनांकः 29.12.2007

गवाह

1. [illegible]

2. रामजस पुत्र गंगाप्रसाद
ग्राम देवामऊ लखनऊ

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सैय्यद अन्जर हुसैन)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 11730 Year : 2007 Book No. 1

0101 धनेश्वरी

गंगा प्रसाद

ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ

गृहिणी

मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

कृषि भूमि खसरा संख्या–3, रकबा 0.089हेक्टेअर व खसरा संख्या–22, रकबा 0.399 हेक्टेअर दो किता व रकबा 0.488 का 1/3 भाग 0.1628 हेक्टेअर व खसरा संख्या–77, रकबा 0.208 हेक्टेअर का 1/2 भाग रकबा 0.104हेक्टेअर इस प्रकार कुल तीन किता व कुल रकबा 0.2668 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– देवामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता ने रू0 20,08,431/– (रूपया बीस लाख आठ हजार चार सौ इक्तीस मात्र) द्वारा चेक संख्या– 609903 दिनांकित

विक्रय पत्र

2,008,431.00/	334,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती धनेश्वरी
पुत्र / पत्नी श्री गंगा प्रसाद
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 29/12/2007 समय 3:54PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

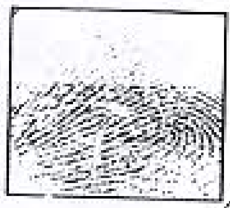

मनोज कुमार शुक्ल
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
29/12/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती धनेश्वरी
पुत्र/पत्नी श्री गंगा प्रसाद
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ

क्रेता
श्री/श्रीमती अरूण कुमार वर्मा
पुत्र/पत्नी श्री विशम्भर
पेशा कृषि
निवासी ग्राम नन्दौली,तह.हसनगंज जि.उन्नाव

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अमर नाथ
पुत्र श्री दिवाकर नाथ
पेशा व्यापार
निवासी मदन मोहन मालवीय नगर,लखनऊ

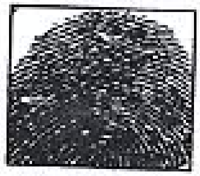

व श्री रामजस
पुत्र श्री गंगा प्रसाद
पेशा कृषि
निवासी ग्राम देवामऊ पर.बिजनौर,लखनऊ
ने की ।

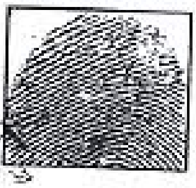

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

मनोज कुमार शुक्ल
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
29/12/2007